



**दिनांक 14 मई, 2026**

**थाना गुलावठी**

**हनीट्रैप में फसाकर ठगी करने वाले 05 अभियुक्त(04 पुरुष व 01 महिला) गिरफ्तार, कब्जे**

**से घटना में प्रयुक्त गाडी व 04 मोबाइल फोन बरामदा**

अवगत कराना है कि दिनांक 14-05-2026 को राकेश कुमार निवासी ग्राम उलेडा थाना गुलावठी बुलन्दशहर ने थाना गुलावठी पर तहरीर दी कि करीब 01 माह पूर्व उसके मोबाइल फोन पर एक लडकी की कॉ आयी, लडकी ने कहा की वह उससे बात करना चाहती है, दोनो के मध्य बात होने लगी तो दिनांक 06-05-2026 को युवती ने वादी को जनपद हापुड बुलाया तथा हापुड में घुमाने के लिए कहा गया। वादी उसके साथ जनपद हापुड चला गया, घुमने के दौरान लडकी द्वारा अपने फोन में दोनो के फोटो खीचे लिये थे। उसके बाद वादी द्वारा युवती को वापस छोड दिया गया। युवती द्वारा अगले दिन वादी से 500/- रुपये मांगे गये वादी द्वारा अपने एक परिचित से 500/- रुपये लडकी के खाते में यूपीआई के माध्यम से भिजवा दिये। फिर अगले दिन लडकी द्वारा उससे 20 हजार रुपये की मांग की गयी न देने पर दुष्कर्म के मुकदमें में फसाने की धमकी दी गयी। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुअसं 299/26 धारा 308(6), 351(2), 61(2),3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

उक्त के क्रम में थाना गुलावठी पुलिस द्वारा आज दिनांक 14-05-2026 को घटना में संलिप्त 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गुलावठी पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम पता-**

1. ओमकार सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह निवासी जौलपुर की मडैया थाना पटवाई जनपद रामपुर।
2. पवन सैनी पुत्र प्रसादीलाल सैनी निवासी गौशाला रोड कस्बा व थाना चंदौसी जनपद सम्भल।
3. मुनेश कुमार पुत्र मोतीराम सैनी निवासी मार्ग 0 ससादक सराय सिरी थाना हजरतनगर गढी जनपद सम्भल।
4. राजू पुत्र ईश्वरीलाल निवासी न्यू कृष्ण नगर थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर।
5. रानी पुत्री राजू निवासी इंदरा कॉलोनी विजय नगर गाजियाबाद (मूल निवासी- दौडाबाडा थाना अरही जनपद सिवनी मध्यप्रदेश)

### **बरामदगी-**

1. 01 थार गाडी नं0- UP 22 AF 0909 (घटना में प्रयुक्त)
2. 04 मोबाइल फोन

**घटना का विवरण-** वादी राकेश कुमार व उसके भाई नीरज कुमार का जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। नीरज कुमार वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर जनपद रामपुर में तैनात हैं, नीरज कुमार ने जमीन हडपने के उद्देश्य से अभियुक्त ओमकार सिंह, (जो हनी ट्रेप का गिरोह चलाता है) के साथ मिलकर वादी को फसाने की योजना बनाई तथा योजनानुसार अभियुक्त ओमकार सिंह द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर अभियुक्ता रानी को वादी से बात करने के लिए कहा गया। जिसके बाद अभियुक्ता रानी द्वारा वादी से बात कर उसे मिलने के लिए बुलाया गया तथा अपने फोन में उसके फोटो ले लिए गये।

### **गिरफ्तार अभियुक्त ओमकार सिंह का आपराधिक इतिहास-**

- 1-मुअसं- 378/2018 धारा 34/395/412/506 भादवि थाना मीरगंज जनपद बरेली।
- 2-मुअसं- 120/2019 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना मीरगंज जनपद बरेली।
- 3-मुअसं- 137/2018 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर।
- 4-मुअसं- 550/2022 धारा 384/386/ 392 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर।
- 5-मुअसं- 600/2022 धारा 3/4/5 अनैतिक देह व्यापार अधि0 व 270/ 386 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर।
- 6-मुअसं- 02/2019 धारा 394/ 411 भादवि थाना कैमरी जनपद रामपुर।
- 7-मुअसं- 58/2019 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कैमरी जनपद रामपुर।
- 8-मुअसं- 69/2019 धारा 307 भादवि थाना कैमरी जनपद रामपुर।
- 9-मुअसं- 70/2019 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना कैमरी जनपद रामपुर।
- 10-मुअसं- 347/2019 धारा 3(1) गुंडा एक्ट थाना कैमरी जनपद रामपुर।
- 11-मुअसं- 596/2016 धारा 379/411/420/ 467/468 भादवि थाना मिलक जनपद रामपुर।

- 12-मुअसं- 119/2019 धारा 323/342/384/394/504/506 भादवि व 66 बी आईटी एक्ट थाना मिलक जनपद रामपुरा  
 13-मुअसं- 02/2018 धारा 323/ 325/ 504/ 506 भादवि थाना पटवाई जनपद रामपुरा  
 14-मुअसं- 105/2024 धारा 3/4/5 अनैतिक देह व्यापार अधि0 थाना पटवाई जनपद रामपुरा  
 15-मुअसं- 284/2015 धारा 379 भादवि थाना शाहबाद जनपद रामपुरा  
 16-मुअसं- 386/2015 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना शाहबाद जनपद रामपुरा  
 17-मुअसं- 142/2018 धारा 379, 411 भादवि0 थाना बनियाठेर जनपद सम्भला  
 18-मुअसं- 171/2018 धारा 411/ 414/ 420 भादवि व 25 शस्त्र अधि0 थाना बनियाठेर जनपद सम्भला  
 19-मुअसं- 321/2018 धारा 3(1) गुंडा एक्ट थाना बनियाठेर जनपद सम्भला  
 20-मुअसं- 119/2015 धारा 380 भादवि0 थाना कुढ फतेहगढ जनपद सम्भला  
 21-मुअसं- 135/2015 धारा 394 भादवि थाना कुढफतेहगढ जनपद सम्भला  
 22-मुअसं- 153/2015 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना कुढ फतेहगढ जनपद सम्भला  
 23-मुअसं- 171/2015 धारा 3(1) गुंडा एक्ट थाना कुढ फतेहगढ जनपद सम्भला  
 24-मुअसं- 791/2012 धारा 147/148/149307 भादवि थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीता  
 25-मुअसं- 794/2012 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीता  
 26-मुअसं- 614/2013 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद रामपुरा

#### अभियुक्त पवन सैनी का आपराधिक इतिहास-

- 1-मुअसं- 454/2024 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना कटघर जनपद मुरादाबादा  
 2-मुअसं- 467/2024 धारा  
 3-मुअसं- 215/2018 धारा 328/ 379/411 भादवि थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबादा  
 4-मुअसं- 548/2016 धारा 392/ 411 भादवि थाना शाहबाद जनपद रामपुरा  
 5-मुअसं- 558/2016 धारा 392/ 411 भादवि थाना शाहबाद जनपद रामपुरा  
 6-मुअसं- 97/2017 धारा 3(1) गुंडा एक्ट थाना शाहबाद जनपद रामपुरा  
 7-मुअसं- 171/2018 धारा 411/414/420 भादवि व 25 शस्त्र अधि0 थाना बनियाठेर जनपद सम्भला  
 8-मुअसं- 331/2018 धारा 3(1) गुंडा एक्ट थाना बनियाठेर जनपद सम्भला  
 9-मुअसं- 184/2012 धारा 392 भादवि थाना बिलारी जनपद मुरादाबादा

#### अभियुक्त मुनेश कुमार का आपराधिक इतिहास-

- 1-मुअसं- 585/2021 धारा 307 भादवि थाना चंदौसी जनपद सम्भला  
 2- मुअसं- 52/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना चंदौसी जनपद सम्भला  
 3- मुअसं- 130/2022 धारा 3(1) गुंडा एक्ट थाना चंदौसी जनपद सम्भला  
 4- मुअसं- 18/2022 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना सम्भल जनपद सम्भला

#### गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना गुलावठी।  
 2- व0उ0नि0 नीरज, उ0नि0 कुंवर सिंह, उ0नि0 वैभव पटेल  
 3. है0का0 सुनील, का0 अंकुर, का0 कुलदीप, म0का0 रिया वशिष्ठ, म0रि0का0 भारती

